पत्रांक–04 / सड़क–01–02 / 2026 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर परिषद्, दानापुर क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹58.97200 लाख (अनठावन लाख सनतावन हजार दो सौ रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में तत्काल कुल राशि ₹35.97200 लाख (पैंतीस लाख सनतानवे हजार दो सौ रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रुप में राशि की व्यय की स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

नगर परिषद्, दानापुर क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना नगर परिषद्, दानापुर निजामत अंतर्गत वार्ड नं0–39 में रोड नं0–13 कैलाशपुरी इन्डियन ओवरसीज बैंक के बगल में अवस्थित पथ (आर.पी.एस. काली मंदिर रोड) का पी.सी.सी. पथ एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–6465 दिनांक–11.10.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। नगर परिषद्, दानापुर के पत्रांक–68 / यो0 दिनांक–06.01.2026 द्वारा राशि आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में परिषद्, दानापुर क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित कुल राशि ₹58.97200 लाख (अनठावन लाख सनतावन हजार दो सौ रूपये) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ–5 में अंकित तत्काल राशि राशि ₹35.97200 लाख (पैंतीस लाख सनतानवे हजार दो सौ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2025–26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

राशि लाख में।

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (राशि लाख रू० में)	तत्काल आवंटित राशि (राशि लाख रू० में)	अवशेष राशि (राशि लाख रू० में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**परिषद्, दानापुर**	नगर परिषद्, दानापुर क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना नगर परिषद्, दानापुर निजामत अंतर्गत वार्ड नं0–39 में रोड नं0–13 कैलाशपुरी इन्डियन ओवरसीज बैंक के बगल में अवस्थित पथ (आर.पी.एस. काली मंदिर रोड) का	**58.97200**	**35.97200**	**23.00**

		पी.सी.सी. पथ एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण			
		कुल	**58.97200**	**35.97200**	**23.00**

3. उक्त स्वीकृत राशि राशि ₹35.97200 लाख (पैंतीस लाख सनतानवे हजार दो सौ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 227, दिनांक– 28.03.2025 एवं पत्रांक–950/वी0 दिनांक–12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, दापानुर के PL खाता सं०–DNPPLA002, HoA संख्या–00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter** Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹35.97200 लाख (पैंतीस लाख सनतानवे हजार दो सौ रूपये) मात्र की निकासी माँग संख्या– 48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193– नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष– 0103– परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217031930103, विषय शीर्ष–0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/सड़क–01–02/2026 के पृष्ठ सं०–36/टि० पर दिनांक–19.01.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–37/टि० पर दिनांक–23.01.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04 / सड़क–01–02 / 2026 462 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–29/01/26

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / नगर परिषद्, दानापुर / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना / उप सचिव–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06 एवं 04 नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।